राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/238

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111, 128 राजस्व अधि॰	176/24 176/24	24/5/24	11/6/24	6/6/24

अनवान

श्री बुलबी पुत्र नारायण — श्री शेडु पिता सोजी बंजारा

निवासी बंजारा की गोरधनपुरा — निवासी गोरधनपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री [signature] Adv. — श्री ....

H.V. Ji Sharma Adv.

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: तुलछी बनाम रोडू वगैरा

किस्म मुकदमा – 111,126 रा० अधि० 176 नम्बर ..... / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24 05 2024	प्रार्थना पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 06 / 06 / 2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
6/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को वास्ते उचित आदेश पेश हो। तामील प्राप्त। उप खण्ड अधिकारी	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 11/06/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
11/6/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 176/2024 तारीख दायर 24/05/24

तुलछी पत्नि नाराण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0 ....प्रार्थीया

बनाम्

रोडू पिता सोजी जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 11/06/24

प्रार्थना पत्र तुलछी ने जरिये अभिभाषक श्री **ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा मे खाता संख्या 65 पर अंकित आराजी संख्या 120, 47, 47/1 कुल किता 3 रकबा 0.7608 हे0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम **मौजा ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा मे खाता संख्या 65 पर अंकित आराजी संख्या 120, 47, 47/1 कुल किता 3 रकबा 0.7608 हे0 भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या — 176 / 2024 तारीख दायर 24-05-24

प्रेषिति :—तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :— प्रकरण संख्या 176/ पत्थरगढ़ी बाबत्।

तुलछी पत्नि नाराण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

............प्रार्थीया

बनाम्

रोडू पिता सोजी जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है **मौजा ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा मे खाता संख्या 65 पर अंकित आराजी संख्या 120, 47, 47/1 कुल किता 3 रकबा 0.7608 हे0 भूमि की** शामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/—रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा